

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 186/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/386

दायर दिनांक :- 31.07.2025

निर्णय दिनांक :- 20.08.2025

1. प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति शर्मा निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:- 1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता वादी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--: निर्णय :-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादी के नाम ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना में खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप शर्मा सा. देह गैर खातेदार के नाम आवंटन हुई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 19 भरा जाकर स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण संख्या 21 के द्वारा वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी चौसाला बनाते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से खातेदार को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी में वादी परिवार सहित बारह मास निवास करता है तथा बरसात के समय में काश्त कर प्राकृतिक पैदावर का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। इसलिये वादी ग्राम तालरिया खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा नामा. संख्या 19 के द्वारा प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति शर्मा गैर खातेदार दर्ज किया गया। मौजा तालरिया नामान्तरकरण संख्या 21 के द्वारा प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप को खातेदार दर्ज किया गया। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि में वादी खातेदार दर्ज है लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 में प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप कौम शर्मा गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा

20/8/25

किया हुआ है जो वादी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है, चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी प्रवीणकुमार पुत्र रामस्वरूप के बयान पी.डब्लू-1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडोना तहसील बाप के खसरा नंबर 2032/2 रकबा 48-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख गैर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटन अनुसार नामान्तरकरण संख्या 19 के जरिये दर्ज की गयी। जो वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा नामा. संख्या 19 के द्वारा प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति शर्मा गैर खातेदार दर्ज किया गया। मौजा तालरिया नामान्तरकरण संख्या 21 के द्वारा प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप को खातेदार दर्ज किया गया। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि में वादी खातेदार दर्ज है लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 में प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप कौम शर्मा गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडोना तहसील बाप के खसरा नंबर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम आवंटन अनुसार खातेदारी की दर्ज की गयी। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 19 के जरिये गैर खातेदारी की दर्ज की गयी तत्पश्चात वादी को नामान्तरकरण संख्या 21 के जरिये खातेदार दर्ज किया गया परन्तु गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 तैयार करते समय वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में कथन किया है। इसी अनुसार वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

~~A~~ 20/8/25
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला-फलोदी
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति शर्मा निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या:-186/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री नारायणसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2032/1 रकबा 48-00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.08.2025 जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।